

**प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा-II) का कार्यालय, केरल, तिरुवनंतपुरम**  
**OFFICE OF THE PRINCIPAL ACCOUNTANT GENERAL (AU II), KERALA**  
**THIRUVANANTHAPURAM**

सं.का.स्था (बिल्स)/लेखापरीक्षा II / आई टी-टीडीएस/2024-25

OE(BILLS)/AU II/IT-TDS/2024-25

Date: 26.09.2024

परिपत्र/ CIRCULAR No.25

विषय: वित्तीय वर्ष 2024-25 (निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए वेतन से आयकर कटौती – बाबत  
Sub : Recovery of Income Tax for the Financial Year 2024-25 (Assessment Year 2025-26) –  
reg

आयकर अधिनियम 1961 की धारा 115 बीए सी (1), निर्धारितियों को नई कर व्यवस्था हो या पुरानी कर व्यवस्था, जो भी उनके लिए फ़ायदेमंद हो, आय कर दरें चुनने का विकल्प प्रदान करती है।

Section 115BA C(1) of the Income Tax Act, 1961 provides an option for assesses to opt for the rates of Income Tax applicable either New Tax Regime or Old Tax Regime whichever is beneficial to them.

फिलहाल, पीएफएमएस में नई कर व्यवस्था को डिफाल्ट कर व्यवस्था के तौर पर नियत किया गया है। जो कर्मचारी सदस्य पुरानी कर व्यवस्था चुनना चाहते हैं पीएफएमएस वेबसाइट/आयकर मेनु के विकल्प का प्रयोग करें और दि. 31-10-2024 को या उससे पहले डीडीओ (पीएफएमएस के अग्रेषण पंजी में) को भेजे।

As of now, in PFMS the new regime is set as default tax regime. Staff members who wish to opt old tax regime, should exercise the option in the PFMS website/Income Tax Menu and forward to the DDO (Forward Register in PFMS) on or before 31-10-2024.

एक बार विकल्प चयनित कर डीडीओ को अग्रेषित करें तो वह अंतिम होगा।  
Option once exercised and forwarded to DDO Shall be final.

चूंकि कर व्यवस्था में बदलाव का कोई प्रावधान नहीं है, कर्मचारियों को लाभकारी कर व्यवस्था अभिनिश्चित करने के बाद ही “फॉरवर्ड रिजीम” पर क्लिक करना चाहिए।

As there is no provision for alteration of Tax Regime, staff members should click "Forward Regime" only after ascertaining the beneficial Tax Regime to them.

[ [www.pfms.mic.in](http://www.pfms.mic.in) => Employees login ID/Password => EIS > Go to EIS=> income Tax=>Employee Savings => Regime Comparison/Employee Savings => saved process Forward to DDO (Forward Regime)]

तथापि, चुने गए विकल्प को आयकर विभाग के साथ वित्तीय वर्ष 2024-25/निर्धारण वर्ष 2025-26 का आयकर रिटर्न जमा करते समय बदल सकता है।

However, the option exercised can alter at the time of filing IT Return for FY 2024-25/AY 2025-26 with Income Tax Department.

नई कर व्यवस्था में व्यक्तिगत आयकर की छूट सीमा को ₹ 7 लाख तक बढ़ा दिया गया है। अतः नई कर व्यवस्था के ₹ 7 लाख तक के आय वाले लोगों को कोई आय कर अदा नहीं करना है।

Rebate limit of Personal Income Tax has been increased to ₹ 7 lakh in the new tax regime. Thus, persons in the new tax regime, with income up to ₹ 7 lakh shall not pay any tax.

वित्त वर्ष 2024-25 से नई कर व्यवस्था के लिए ₹ 75,000 की मानक कटौती लागू हो गयी है जबकि पुरानी कर व्यवस्था के लिए ₹ 50,000 जारी रहेगी।

The standard deduction ₹75,000 is applicable to new tax regime from financial year 2024-25 whereas that in Old tax regime continues to be ₹ 50,000.

नई कर व्यवस्था का चुनाव करने वाले सदस्यों को निम्नलिखित छूटों और कटौतियों को छोड़ना होगा:

The Officials opting for the New Tax Regime will have to forgo the following Exemptions and Deductions:

1. वेतन शीर्ष के अंतर्गत व्यावसायिक कर एवं मनोरंजन भत्ता / The professional tax and entertainment allowance on salaries
2. छुट्टी यात्रा भत्ता / Leave Travel Allowance (LTA)
3. मकान किराया भत्ता / House Rent Allowance (HRA)
4. सन्तान शिक्षा भत्ता / Children education allowance
5. अन्य विशेष भत्ते ( धारा 10(14))/ Other special allowances [Section10(14)]
6. स्वाधिकार संपत्ति या खाली संपत्ति पर गृह निर्माण ऋण पर ब्याज (धारा 24) / Interest on housing loan on the self-occupied property or vacant property (Section 24)
7. अध्याय VI A कटौतियां(80सी, 80डी, 80ई और इसी तरह) (80सीसीडी (2) एवं 80 जेजेए को छोड़कर) / Chapter VI-A deduction (80C,80D, 80E and so on) (Except Section 80CCD (2) and 80JJAA)
8. किसी भी अन्य अनुलाभ या भत्ते के लिए छूट या कटौती / Exemption or deduction for any other perquisites or allowances

पुरानी कर प्रणाली में बने रहने के लिए इच्छुक पदाधिकारियों से अनुरोध है कि वे अपना प्रपत्र फॉर्म 12 बीबी (संलग्न) में भर के ओ ई बिल्स अनुभाग में दि. 31.10.2024 से पहले अवश्य प्रस्तुत करें। उसमें बताए गए व्यय / निवेश के विवरण के समर्थन में जहां भी आवश्यक हो प्रलेखी प्रमाण संलग्न किए जाने चाहिए।

Officials willing to remain in the Old Tax Regime are requested to furnish a statement in form 12 BB (appended) so as to reach OE(Bills) before 31.10.2024 compulsorily. Details of expenditure/investments stated therein should invariably be supported by documentary evidence wherever applicable.

समुचित दस्तावेजों के बगैर कोई भी कटौती अनुमत नहीं की जाएगी।

No deduction will be allowed without proper documents.

कुछ निवेश / व्यय की मद जिनके संबंध में आयकर अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कटौती का दावा किया जा सकता है, वे नीचे सूचीबद्ध हैं।

Some of the items of investments/expenditure for which deduction can be claimed under various sections of IT Act are listed below.

<p>80 सी 80 C</p>	<p>कुछ निवेशों / भुगतानों के संबंध में कटौती। इस धारा के अधीन अधिकतम ग्राह्य कटौती रु.1.5 लाख है / <b>Deduction in respect of certain deposits/payments. The maximum admissible deduction under this section is ₹.1.5 lakh</b></p> <p>कुछ निवेश क्षेत्र या व्यय जिनका धारा 80 सी के तहत कर कटौतियों के रूप में दावा किया जा सकता है वे नीचे दिए अनुसार हैं:</p> <p>Some of the investment avenues or expenses that can be claimed as tax deductions under section 80c are as below:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. अपने, पति या पत्नी के या बच्चों के नाम पर लो.भ.नि. (लोक भविष्य निधि) / PPF (Public Provident Fund) in the name of self, spouse or children</li> <li>ii. सा.भ.नि. (सामान्य भविष्य निधि) / GPF (General Provident Fund)</li> <li>iii. बैंक या डाक घर में पंच वर्षीय कर बचत जमा / Five-year Bank or Post Office Tax Saving Deposits</li> <li>iv. रा.ब.प्र. (राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र) NSC (National Savings Certificates)</li> <li>v. म्यूचुअल फंडों के ई एल एस एस (इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स) / ELSS (Equity Linked Saving Schemes) of Mutual Funds</li> <li>vi. ट्यूशन फी (अधिकतम दो बच्चों के लिए) / Tuition Fees (For maximum of two children)</li> <li>vii. गृह निर्माण ऋण के मूल राशि का पुर्नभुगतान / Principal repayment of Home Loan</li> <li>viii. रा.पें.यो. (राष्ट्रीय पेंशन योजना) / NPS (National Pension System)</li> <li>ix. जीवन बीमा प्रीमियम (अपने, पति या पत्नी के या बच्चों के लिए) / Life Insurance Premium (for self, spouse or children)</li> <li>x. सुकन्या समृद्धि खाता जमा योजना / Sukanya Samriddhi Account Deposit Scheme</li> </ol>
<p>80 सीसीसी 80 CCC</p>	<p>एल आई सी (भारतीय जीवन बीमा निगम) या किसी अन्य जीवन बीमा कंपनी के वार्षिकी योजना में योगदान। इस धारा के अधीन अधिकतम ग्राह्य कटौती रु.1.5 लाख है / Contribution to annuity plan of LIC (Life Insurance Corporation of India) or any other Life Insurance Company. The maximum allowable deduction under this section is ₹. 1.5 Lakh</p>
<p>80 सीसीडी (1) 80 CCD(1)</p>	<p>केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना (एन पी एस) के लिए वेतन के अधिकतम 10 प्रतिशत के अधीन कर्मचारियों का योगदान (वेतन में महंगाई भत्ता शामिल है लेकिन सभी अन्य भत्तों तथा अनुलाभों को छोड़ दिए हैं) / Employees contribution to the pension scheme notified by the Central Government (NPS), subject to a maximum of 10% of salary (Salary included Dearness Allowance but excluded all other allowances and perquisites)</p>
<p>80 सीसीडी (1ख)</p>	<p>केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पेंशन योजना (एन पी एस) में किए गए जमे पर, धारा 80 सीसीडी (1)के तहत कोई कटौती अनुमत नहीं की गयी हो तो कटौती दी जाएगी और वह रु. 50,000/- से अधिक नहीं होगी।</p>

80 CCD (1B)	Shall be allowed a deduction, whether or not any deduction has been allowed under section 80CCD (1), of the deposit made in a pension scheme notified by the Central Government (NPS) which shall not exceed ₹. 50,000
80 सीसीडी (2) 80CC D (2)	<p>पेंशन योजना (एन पी एस)में कर्मचारियों के नाम पर नियोक्ता का योगदान वेतन के अधिकतम 14% के अधीन, कटौती के रूप में अनुमत है। (वेतन में महंगाई भत्ता शामिल है लेकिन सभी अन्य भत्तों तथा अनुलाभों को छोड़ दिए हैं)</p> <p>टिप्पणी: एनपीएस में कर्मचारियों के नाम पर नियोक्ता का योगदान को कर्मचारी के सकल वेतन में समाविष्ट किया जाना चाहिए (धारा 17)</p> <p>Employers' contribution to the Pension (NPS) account of the employee shall be allowed as a deduction, subject to a maximum of 14% of salary (Salary includes Dearness Allowance but excludes all other Allowances and Perquisites).</p> <p>Note: - Employers contribution to the NPS account of the employee should be included under Gross salary of the employee (Section 17)</p>
80 सीसीई 80 CCE	<p>जो भी मामला हो, धारा 80 सी, 80 सीसीसी तथा 80 सीसीडी के उपधारा (1) के तहत कटौतियों की कुल राशि रु.1.50, 000 /-से अधिक नहीं होगी।</p> <p>The aggregate amount of deductions under <u>section 80C</u>, <u>section 80CC</u> and sub-section (1) of <u>section 80CCD</u> shall not, in any case, exceed ₹.1,50,000</p>
80 डी 80 D	<p>आयकर अधिनियम की धारा 80 डी, निर्धारित के या उनके परिवार/माता पिता के स्वास्थ्य पर बीमा को प्रभावी या लागू करने के लिए नकदी के अलावा कोई भी तरीका द्वारा खर्च की राशियों तथा केंद्र सरकारी स्वास्थ्य योजना में, या चिकित्सा व्यय पर किए कोई योगदान पर, उसमें विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सीमाओं / शर्तों के अधीन कटौतियां अनुमत करती है।</p> <p>Section 80D of the Income Tax Act permits deductions on amounts spent by any mode other than cash to effect or to keep in force an insurance on the health of the assessee or his family/parents, or any contribution made to the Central Government Health Scheme, or medical expenditure, subjects to limits/conditions specified therein.</p>
80डीडी 80DD	<p>शारीरिक रूप से अपंग आश्रित के चिकित्सा उपचार सहित रख-रखाव के संबंध में कटौती</p> <p>(क) चिकित्सा उपचार के लिए कोई भी व्यय (नर्सिंग सहित), शारीरिक रूप से अपंग होने के नाते आश्रित का प्रशिक्षण तथा पुनर्वास; अथवा</p> <p>(ख) जीवन बीमा निगम या कोई अन्य बीमाकर्ता या प्रशासक या विनिर्दिष्ट कंपनी में इस कारणवश बनायी गयी योजना में अदा की गयी या निवेश की गयी कोई भी राशि, शारीरिक रूप से अपंग होने के नाते आश्रित के रख-रखाव के लिए धारा में विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन साधारण असमर्थता (40%) के लिए रु.75,000/-तथा संकीर्ण असमर्थता (80% और अधिक) के लिए 1.25 लाख की कर कटौती हेतु प्रावधान प्रदान करती है।</p> <p><b>Deduction in respect of maintenance including medical treatment of a dependent who is a person with disability.</b></p> <p>(a) any expenditure for the medical treatment (including nursing), training and rehabilitation of a dependent, being a person with disability; or</p> <p>(b) paid or deposited any amount under a scheme framed in this behalf by the Life Insurance Corporation or any other insurer or the Administrator or the specified company subject to the conditions specified in the section for the maintenance of a dependent, being a person with disability,</p>

	Provides provisions for tax deductions of ₹. 75,000 for normal disability (40%) and ₹ 1.25 lakh for severe disability (80% and more).
80 डी डी ख 80DD B	अपने या आश्रित के विनिर्दिष्ट बीमारी या व्याधि के चिकित्सा उपचार के लिए उपगत व्यय के संबंध में कटौती। अनुमत कटौती रु. 40,000/-तक सीमित है, अगर चिकित्सा वरिष्ठ नागरिक और बहुत ही वरिष्ठ नागरिक के लिए हो तो ₹1,00,000 तक है। Deduction in respect of the expense incurred for medical treatment of specified disease or ailment for self or a dependent. The permitted deduction is limited to ₹. 40,000 and ₹1,00,000 if the treatment is for a senior citizen, as well as super senior citizen
80 ई 80 E	किसी वित्तीय संस्था या कोई अनुमोदित धर्मार्थ संस्था से, अपनी, अपने पती/ पत्नी की या बच्चों की उच्च शिक्षा जारी रखने के प्रयोजन हेतु लिए गए ऋण पर ब्याज के संबंध में कटौती। कटौती 8 वर्षों के लिए ग्राह्य है। Deduction in respect of interest on loan taken from any financial institution or any approved charitable institution for the purpose of pursuing higher education of self, spouse and children, deduction is admissible for 8 years.
80 जी 80 G	धारा में विनिर्दिष्ट सीमाओं / शर्तों के अधीन कतिपय निधियों, धर्मार्थ संस्थाओं आदि में चंदा देने के संबंध में कटौती (प्रतिबंध के साथ और बगैर 100% या 50% तक कटौती के लिए योग्य) 1. कोई सीमा के बिना 100% की कटौती: राष्ट्रीय रक्षा निधि, प्रधान मंत्री राहत निधि, राष्ट्रीय बीमारी सहायता कोष आदि में योगदान की राशि, 100% की कटौती के लिए योग्य है। 2. अर्हक सीमा के साथ 100% की कटौती: स्थानीय प्राधिकरणों, संघों और संस्थाओं को परिवार नियोजन को बढ़ावा देने तथा खेलकूद आदि के विकास के लिए दिए गए योगदान, कुछ अर्हक सीमाओं के अधीन 100% की कटौती के लिए योग्य है। 3. अर्हक सीमा के बिना 50% की कटौती: प्रधान मंत्री सूखा राहत कोष, राजीव गांधी फाउण्डेशन आदि जैसों में निधियों का योगदान 50% की कटौती के लिए योग्य है। 4. अर्हक सीमा के साथ 50% की कटौती: धर्म स्थापनाओं, परिवार नियोजन के प्रयोजन को छोड़कर स्थानीय प्राधिकरणों को और अन्य धर्मार्थ संस्थाओं को दिए गए योगदान, कुछ अर्हक सीमाओं के अधीन 50% की कटौती योग्य है। 5. अर्हक सीमा, करदाता के सकल कुल आय के 10% के संदर्भ में है। <b>Deduction in respect of donations to certain funds, charitable institutions, etc.</b> (Eligible for deduction up to either 100% or 50% with or without restriction) <b>subject to limits/conditions specified in the section.</b> 1. <b>100% deductions without any limit:</b> Donations to funds like National Defence Fund, Prime Minister's Relief Fund, National Illness Assistance Fund, etc. qualify for 100% deduction on the amount donated. 2. <b>100% deduction with qualifying limits:</b> Donations to local authorities, associations, or institutes to promote family planning and development of sports qualify for 100% deduction, subject to certain qualifying limits. 3. <b>50% deduction without qualifying limits:</b> Donations to funds like the PMs Drought Relief fund, Rajiv Gandhi Foundation, etc. are eligible for 50% deduction. 4. <b>50% deduction with qualifying limit:</b> Donations to religious organisations, local authorities for purposes apart from family planning and other charitable institutes are eligible for 50% deduction, subject to certain qualifying limits. 5. The qualifying limit refers to 10% of the gross total income of a taxpayer.

80 टीटीए	बचत खातों में जमा राशि के ब्याज के संबंध में ₹.10,000/-तक की कटौती ।
80 TTA	Deductions upto ₹.10,000 in respect of interest on Deposits in Savings Accounts.
80 यू 80 U	<p>शारीरिक रूप से अपंग व्यक्ति के मामले में कटौती</p> <p><b>Deduction in the case of a person with disability.</b></p> <p>एक व्यक्ति, जो पिछले वर्ष किसी भी समय चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा शारीरिक रूप से विकलांग के रूप में प्रमाणित किया जाता हो तो उनको धारा में निर्धारित शर्तों के अधीन रु. 75,000/- (संकीर्ण विकलांग व्यक्ति को रु.1.25 लाख) की कटौती अनुमत की जाएगी ।</p> <p>A person, who, at any time during the previous year, is certified by the medical authority to be a person with disability, there shall be allowed a deduction of a sum of ₹.75,000 (for whom with severe disability the deduction is ₹.1.25 lakh) subject to conditions prescribed in the section.</p>

भविष्य निधि के लिए योगदान (प्रतिवर्ष 5 लाख के योगदान की सीमा तक) पर प्रोद्भूत ब्याज को कर योग्य आय से छूट दी गयी है ।

Interest accrued on contribution to GPF (to the extent of contribution of 5 lakh per annum) is exempt from taxable income.

'वेतन आय के अलावा' शीर्ष के तहत आय को, धारा 192 (2बी) के तहत वेतन से स्रोत पर कर कटौती के लिए पेश किया जा सकता है । 'घर संपत्ती से आय' शीर्ष के तहत हानि, यानि कि गृह ऋण स्वरूप (धारा 24) को [दि.31.3.1999 तक ऋण के लिए अधिकतम योग्य राशि रु.30,000, और दि.1.4.1999 को या उसके बाद लिए ऋणों के लिए रु.200,000, तथा तीन वर्षों (वित्त वर्ष 2017-18 से लिए गए ऋण के लिए पांच वर्षों के भीतर) के भीतर निर्माण पूरे करनेवालों के लिए उस वित्त वर्ष के अंत से जिसमें मूल राशि उधार ली हो], को स्रोत पर कटौती के चरण में कटौती के रूप में अनुमत किया जा सकता है । ऐसे मामले में गृ.नि.अ ब्याज के परिकलन के साथ-साथ फार्म 12-C में ब्योरे प्रस्तुत किए जाए ।

Income under head 'other than Salary income' can be offered for TDS from salary under section 192. (2B). Loss under the head 'Income from house property', being interest on house loan (Section 24) [Maximum eligible amount ₹30,000 for loans up to 31.3.1999, and ₹200,000 for loans availed on or after 1.4.1999, and construction completed within three years (within five years for loan taken from FY 2017-18) from the end of the financial year in which capital was borrowed] can be allowed as deduction at TDS stage itself. In such cases, details may be furnished in form 12-C along with calculation of HBA interest.

ब्याज, यदि कोई हो, पिछले वर्ष की अवधि के लिए उधार ली गई पूंजी पर देय है जिसमें संपत्ति अर्जित की गई है या निर्माण की गई है, तो उक्त पिछले वर्ष के लिए समान किस्तों में कटौती की जाएगी और पिछले वर्ष के तुरंत उत्तरवर्ती चार वर्षों में से प्रत्येक के लिए समान किस्तों में कटौती की जाएगी । एक वर्ष के लिए कटौती की समग्र सीमा रु. 200,000 रहेगी ।

The interest, if any, payable on capital borrowed for the period prior to the previous year in which the property has been acquired or constructed shall be deducted in equal instalments for the said previous year and for each of the four immediately succeeding previous years.

The overall limit of deduction for a year remains as ₹2,00,000.

ऊपर बताए गए धारा 24 के तहत कटौतियों के अतिरिक्त, निम्न शर्तों के अधीन, आवासीय संपत्ती के अर्जन के लिए अप्रैल 2019 से मार्च 2022 के दौरान लिए गए ऋणों पर ब्याज के संबंध में निर्धारण वर्ष 2024-25 के लिए धारा 80 ईई के तहत रु.50,000 तक की कटौती ग्राह्य है।

Over and above the deduction under Section 24 explained above, a deduction up to ₹50,000 is admissible under section 80 EE for AY 2024-25 in respect of interest on loan taken during April 2019 to March 2022 for the acquisition of a residential property subject to the following conditions.

1. वित्तीय संस्थान द्वारा ऋण अप्रैल, 2019 के पहले दिन को शुरू होनेवाली और मार्च, 2022 के इकतीसवें दिन को अंत होनेवाली अवधि के दौरान मंजूर किया गया हो ;  
The loan has been sanctioned by the financial institution during the period beginning on the 1st day of April 2019 and ending on the 31st day of March, 2022;
2. आवासीय घर संपत्ती के अर्जन के लिए मंजूर की गयी ऋण राशि पैंतीस लाख रुपए से अधिक न हो;  
The amount of loan sanctioned for acquisition of the residential house property does not exceed thirty-five lakh rupees.
3. आवासीय घर संपत्ती का मूल्य पचास लाख रुपए से अधिक न हो ;  
The value of residential house property does not exceed fifty lakh rupees.
4. ऋण की मंजूरी की तारीख को निर्धारित के स्वामित्व में कोई अन्य आवासीय घर संपत्ती न हो।  
The assessee does not own any residential house property on the date of sanction of loan.
  - उपरोक्त के अलावा, वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए रु. 50,000/- की एक मानक कटौती विद्यमान है।  
Apart from the above, there is a standard deduction of ₹ 50,000/- for salaried employees.
  - जिनको वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान वेतन की कोई बकाया राशि प्राप्त हुई हो और चालू वित्त वर्ष में कर की कटौती का लाभ उठाना चाहता हो तो ऑनलाईन फाइलिंग के बाद फार्म 10 ई की प्रति प्रस्तुत करें।  
Those who received any salary arrears during the financial year 2024-25 and wish to avail tax deduction in current financial year should submit the copy of form 10 E after online filing.
  - प्रति वर्ष रु.25,000 से अधिक की चिकित्सा प्रतिपूर्ति को धारा 17(2) के तहत अधिक लाभ और कर योग्य राशि के रूप में लिया जाएगा।  
Medical reimbursement in excess of ₹. 25,000 per annum, under section 17(2), is to be taken as perquisite and taxable.

- 87ए के तहत निर्धारित जिनके कुल आय रु. 5 लाख से अधिक नहो, अधिकतम रु.12,500 के कर छूट के लिए हकदार होगा।

Under Section 87A, an assessee whose total income does not exceed ₹.5 lakh shall be entitled to a tax rebate up to a maximum of ₹. 12,500.

सकल वेतन से भुगतान किए गए किराया के प्रति म.कि.भ छूट का दावा करने के लिए पदाधिकारियों को उनके द्वारा अदा किए किराए के लिए मकान मालिक से किराया रसीद प्रस्तुत करना चाहिए। यदि कर्मचारी द्वारा अदा किया जाता किराया प्रति वर्ष रु. 1,00,000 से अधिक हो तो कर्मचारी द्वारा मकान मालिक का पैस भी नियोक्ता को प्रस्तुत करना अनिवार्य है। यदि मकान मालिक के पास पैस नहीं हो तो कर्मचारी को मकान मालिक के नाम व पते के साथ उनसे इस आशय की एक घोषणा भी फाईल करना चाहिए। दोनों मामलों में कम से कम तीन महीनों के लिए किराए के ऑनलाइन अदा करने की सबूत प्रस्तुत की जानी चाहिए।

To claim HRA exemption from Gross salary towards rent paid, the officials should produce rent receipt from the landlord for the rent paid by the employee. If the annual rent paid by the employee exceed, ₹1,00,000 per annum, it is mandatory for the employee to report PAN of the landlord to the employer. In case the landlord does not have a PAN, a declaration to the effect from the landlord along with the name and address of the landlord should be filed by the employee. In both the cases, proof of online payment of rent for at least six months should be submitted.

वित्तीय 2024-25 (निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए आयकर की दर निम्नानुसार है।

The Rates of Income Tax for the FY 2024-25 (AY 2025-26) are furnished below.

पुरानी कर व्यवस्था Old Tax Regime		नयी कर व्यवस्था New Tax Regime	
कर योग्य आय Taxable Income	कर की दर Rate of tax	कर योग्य आय Taxable Income	कर की दर Rate of tax
0-250000	0	0-300000	0
250001-500000	5%	300001-700000	5%
500001-1000000	20%	700001-1000000	10%
Above 10,00,000	30%	1000001-1200000	15%
		1200001-1500000	20%
		Above 1500000	30%

वित्त वर्ष 2024-25 के लिए, उपरोक्त दर पर कर के अलावा आय कर के 4% की दर पर स्वास्थ्य तथा शिक्षा उप कर की उगाही भी की जाती है।

Besides tax at above rate, Health and Education Cess @ 4% is levied on income-tax for the financial year 2024-25.

स्रोत पर कटौती के चरण में आय कर पर कोई प्रत्यर्पण नहीं किया जाएगा। अतः सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा है कि निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने आय कर योजनाबद्ध करने और व्यय/ निवेश विवरण टी डी एस के प्रयोजन हेतु प्रस्तुत करने में अत्यंत सावधानी बरती जाए।

No refund of Income Tax will be allowed at TDS stage. Hence all the officials are required to take utmost care in planning their Income Tax and furnishing the expenditure/investments statements for the purpose of TDS within the prescribed time limit.

(वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशा. एवं एएमजी I) के दि. 24.09.2024 के आदेशानुसार /

Approved by Sr. DAG (Admn & AMG I) vide orders dated 24.09.2024)

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी / का.स्था (बिल्स)  
Sr. Audit Officer/ OE (Bills).